उत्तर प्रदेश प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-4

संख्या-09/2026/I/1244129/2026/11-4099/25/2023

लखनऊ: दिनॉक: 18 फरवरी, 2026

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या-19/2015/वी0-2-2973/दस-2015-10/77, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत रू0 5.00 करोड़ तक की योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों के मूल्यांकन (Appraisal) एवं उनके औचित्य का परीक्षण किये जाने हेतु राज्य कर विभाग में एतदद्वारा निम्नानुसार विभागीय मूल्यांकन (Appraisal) समिति का गठन किया जाता है-

क्र0	पदनाम	प्रास्थिति
1	आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।	अध्यक्ष
2	अपर आयुक्त (जो सम्पत्ति का कार्य देख रहे हों), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।	सचिव
3	अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य-संयोजक
4	कार्य/परियोजना से सम्बन्धित जोन के अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर विभाग।	सदस्य
5	सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के प्रमुख अभियन्ता/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता/निदेशक द्वारा नामित अभियन्ता, जो अधीक्षण अभियन्ता से अनिम्न स्तर का हो।	सदस्य
6	लोक निर्माण विभाग से भिन्न कार्यदायी संस्था होने की दशा में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा नामित अभियन्ता, जो अधीक्षण अभियन्ता से अनिम्न स्तर का हो तथा यदि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था स्वयं लोक निर्माण विभाग हो, तो कन्सट्रक्शन एण्ड डिज़ाइन सर्विसेज़, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित अभियन्ता, जो अधीक्षण अभियन्ता से अनिम्न स्तर का हो।	सदस्य

2- प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु नामित/चयनित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में दिये गये मार्गदर्शी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत आगणनों की चेकलिस्ट तैयार कर आयुक्त कार्यालय, राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ के सक्षम अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे आयुक्त कार्यालय

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा प्रारम्भिक परीक्षण करते हुए निर्माण कार्यों से संबंधित समस्त आगणनों एवं सम्बंधित क्षेत्रीय राज्य कर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण, विभागीय मूल्यांकन (Appraisal) समिति की निर्धारित होने वाली बैठकों में परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

3- विभागीय मूल्यांकन (Appraisal) समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत की संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

श्याम प्रकाश नारायण
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर विभाग, उ0प्र0।
4- अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, सी0एंड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम, नगरीय), लखनऊ।
7- समस्त कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य कर अनुभा-1/2/3/5, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।